

राजस्थान - सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/राजपत्रित/चि0अ0/अध्ययन अवकाश संशोधन/2024/ 76 दिनांक : 06/03/2024

:-आदेश:-

निदेशालय द्वारा समसंख्यक आदेशों के द्वारा सेवारत कोटे से पीजी अध्ययनरत निम्न चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश/असाधारण अवकाश पूर्व में विभाग द्वारा जारी किये गये थे, जिनमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम चिकित्सा अधिकारी	पीजी/एमसीएच में अध्ययन विभाग एवं मेडिकल कॉलेज	संशोधन
1	डॉ0 राजेश कुमार रेगर	मेडिसिन जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर	इस विभाग के आदेश क्रमांक 43 दिनांक 08.02.2024 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में चिकित्सक के नाम के स्तम्भ में डॉ0 राकेश कुमार रेगर के स्थान पर डॉ0 राजेश कुमार रेगर पढा जावे।
2	डॉ0 नितिका बनवाल	स्त्री एवं प्रसूति रोग जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर	इस विभाग के आदेश क्रमांक 34 दिनांक 01.02.2024 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में चिकित्सक के नाम के स्तम्भ में डॉ0 नितिका बनवाल के स्थान पर डॉ0 नितिका बनवाल पढा जावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/राजपत्रित/चि0अ0/अध्ययन अवकाश संशोधन/2024/ 76 दिनांक : 06/03/2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
3. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी (राजपत्रित), मुख्यालय।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज विभाग वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
5. संबंधित चिकित्सा अधिकारी।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
5945761

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PRAKASH MATHUR
Designation: Director
Date :05-03-2024 03:50:15